कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल,मोतीपुर, शिविर–मुजफ्फरपुर
email :- eetcdmotipur@gmail.com Mobile No.- 7463889908

पत्रांक–............./ मुजफ्फरपुर, दिनांक–........................./

त्रिवर्षीय बंदोबस्ती/नीलामी सूचना संख्या– 01/2025–2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर शिविर–मुजफ्फरपुर के क्षेत्राधीन निम्नांकित स्थलों पर कृषि योग्य भूमि की बंन्दोबस्ती/खर पतवार की निलामी/बंन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से नीचे वर्णित तिथि, स्थल एवं समय पर की जाएगी। यह बन्दोबस्ती/नीलामी वित्तीय वर्ष– 2026–2029 के लिए तथा 31 मार्च 2029 तक के लिए मान्य होगी।

क्रं0 सं0	बन्दोबस्ती/निलामी स्थल का नाम	आगामी तीन वितीय वर्षों में बंन्दोबस्ती की राशि	आगामी तीन वित्तीय वर्षो की कुल राशि	जमानत की राशि	बंन्दोबस्ती/नीलामी करने हेतु स्थल का नाम	बंन्दोबस्ती की तिथि	बंन्दोबस्ती का समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम– कल्याणपुर में प्रशाखा शिविर हेतु अर्जित भूमि में कृषि हेतु बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष – 2026–29 की राशि – 1,33,100.00	1,33,100.00	1331.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर शिविर–मुजफ्फरपुर रामदयालू नगर–842002	09.04.2026	12:30 बजे पूर्वाह्न
2.	ग्राम– सिंधिया घाट में प्रशाखा शिविर हेतु अर्जित भूमि में कृषि हेतु बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष– 2026–29 की राशि– 60,560.00	60,600.00	6060.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	12:45 बजे अपराह्न
3.	ग्राम– अंगारघाट में प्रशाखा शिविर हेतु अर्जित भूमि में कृषि हेतु बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष – 2026–29 की राशि – 90,109.00	90,200.00	9020.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	01:00 बजे अपराह्न
4.	ग्राम– रूपौली में प्रशाखा शिविर हेतु अर्जित भूमि में कृषि हेतु बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष– 2026–29 की राशि – 60,827.00	60,900.00.00	6090.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	01:30 बजे अपराह्न

5.	ग्राम– उजियारपुर में प्रशाखा शिविर में खर धास की बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष – 2026–29 की राशि – 9,450.00	9,500.00	950.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	2:00 बजे अपराह्न
6.	गंडक शिविर ताजपुर में खर धास की बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष– 2026–29 की राशि – 5,856.00	5,900.00	590.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	2:30 बजे अपराह्न
7	गंडक शिविर सुजावलपुर कृषि हेतु बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष– 2026–29 की राशि – 77,600.00	7760.00	776.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	3:00 बजे अपराह्न
8	स्थाई प्रशाखा शिविर अंतर्गत दुबहा बुजुर्ग के फलदार वृक्ष के फल का निलामी बंन्दोबस्ती।	वित्तीय वर्ष– 2026–29 की राशि – 40,000.00	40,000.00	400.00 (बन्दोबस्ती की राशि का 10 प्रतिशत)	वहीं	09.04.2026	3:30 बजे अपराह्न

निमाली की शर्तों :–

1. डाक में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व जमानत की राशि जमा करना होगा। उच्चतम डाक बोलने वाले को छोड़कर अन्य की जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाकधारी की जमानत की राशि एवं उच्चतम बोली की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात् ही देय होगा। बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर शिविर– मुजफ्फरपुर" के पदनाम से प्रेषित होना चाहिए।

2. उच्चमत डाक बोलने वाले को डाक की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट अगले तीन कार्य दिवस के भीतर इस कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही डाक को रद्द करते हुए उनपर नियमानूकुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

3. अद्योहस्ताक्षरी को विभागीय हित में बिना कारण बताये उपयुक्त सभी बंन्दोबस्ती को रद्द करने या स्थगति करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

4. डाक वित्तीय वर्ष –2026–29 के लिए तथा 31.03.2029 तक के लिए मान्य होगा।

5. डाकधारी को जमानत तथा सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं करना होगा साथ ही साथ उक्त स्थान का प्रयोग किसी भी प्रकार का व्यवसाय के लिए वर्जित रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. वित्तीय वर्ष– 2022–25 के अवधि में किए गए बन्दोबस्ती प्रक्रिया में उच्चतम बोली लगाने के बावजूद विभागीय नियम की अवहेलना के आलोक में दोषी घोषित किए गए व्यक्ति एवं उनसे संबंधित (पत्नी पुत्र एवं पुत्री (अविवाहित)) इस बन्दोबस्ती प्रक्रिया में भाग लेने योग्य नहीं होंगें।

7.उच्चतम बोली प्राप्त डाकधारी को विभागीय भूमि पर अवस्थित वृक्ष एवं संरचना को किसी प्रकार का क्षति नहीं करना होगा अन्यथा उनकी बंन्दोबस्ती रद्द कर दी जाएगी।

8. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति डाक के पूर्व डाक स्थल का निरीक्षण स्वयं कर लेंगें। डाक स्थल जो है जैसी स्थति में है उसी स्थंति में डाक होगी। अतः डाक में भाग लेने वाले पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही डाक में भाग लेंगें। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

9. नीलामी/ बंन्दोबस्ती तीन वर्ष से अवधि के लिए अनवीकरणीय होगी।

10. डाक के भाग लेने वाले व्यक्ति को यह लिखकर देना होगा की डाक की सभी शर्तों की जानकारी उन्हें हो चूंकी है। तत्पश्चात् वे डाक में भाग ले सकते है।

11. प्राकृतिक आपदा से हुए किसी भी प्रकार की क्षति के लिए विभाग जिम्मेबार नहीं होगा।

12. बिना कारण बताए किसी भी समय बन्दोबस्ती की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

ह0/–

(ई0 प्रिय रंजन)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर
शिविर–मुजफ्फरपुर।

पत्रांक 413 मुजफ्फरपुर/ दिनांक 20/03/2026

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को बंन्दोबस्ती/नीलामी सूचना सं0–01/2025–2026 हिन्दी में एक प्रति (PDF एवं सॉफ्ट प्रतियों में) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि आमंत्रण सूचना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड एवं दो दैनिक लोकप्रिय अखबार में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

अनु0 – Soft Copy (PDF and M.S. Word)

20/3/26

(ई0 प्रिय रंजन)
कार्यपालक अभियंता
तिरहुत नहर प्रमंडल, मोतीपुर
शिविर–मुजफ्फरपुर

मुकेश 20/03/26

20-03-2026